

सं०सं०-1/द०अ०-03/2017-117(1)अ

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानन्द चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

अधीक्षक,
दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल,
लहेरियासराय, दरभंगा।

पटना, दिनांक-19/03/2018

विषय:- दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, लहेरियासराय, दरभंगा को विपत्र कोड-20-2210011100002 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में विद्युत प्रभार, संविदा सेवायें एवं छात्रवृत्ति/वजीफा मद में पुनर्विनियोग से प्राप्त कुल रू० 2,72,50,000/- (रुपये दो करोड़ बहत्तर लाख पचास हजार) मात्र के अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक अधीक्षक, दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, लहेरियासराय के पत्रांक-560 दिनांक-12.02.2018 के आलोक में दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, लहेरियासराय को विपत्र कोड-20-2210011100002 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में विद्युत प्रभार, संविदा सेवायें एवं छात्रवृत्ति/वजीफा मद में पुनर्विनियोग से प्राप्त कुल रू० 2,72,50,000/- (रुपये दो करोड़ बहत्तर लाख पचास हजार) मात्र के अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति निम्नरूपेण दी जाती है-


विषय शीर्ष	बजट उपबंध	पुनर्विनियोग से प्राप्त उपबंध	कुल उपबंध	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	अद्यतन कुल आवंटन	शेष राशि
0002.13.04 विद्युत प्रभार	50000000	20051000	70051000	50000000	20051000	70051000	0
0002.28.02 संविदा सेवायें	118218000	5799000	124017000	118218000	5799000	124017000	0
0002.34.01 छात्रवृत्ति/ वजीफा	15840000	1400000	17240000	15840000	1400000	17240000	0
कुल-	184058000	27250000	211308000	184058000	27250000	211308000	0

2. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561/वि०(2) दिनांक-17.04.1998, 2880/वि०(2) दिनांक-06.05.06 एवं 2938/वि०(2), दिनांक-08.04.08 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है एवं इनके प्रावधानों के अनुपालन की जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अधीक्षक, दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, लहेरियासराय होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।


4. इस राशि के व्यय का वहन माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-110-अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ-0002-दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, विपत्र कोड-20-2210011100002 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वीकृत्यादेश सं०-319(1) दिनांक-15.03.2018 द्वारा पुनर्विनियोग से प्राप्त राशि से किया जायेगा।

क्रमशः



5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरुद्ध नियमानुसार नियुक्त एवं पदस्थापित कर्मियों का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।
6. आवंटित राशि की व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि सहित प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन से किये गये व्यय का महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा सत्यापित कराकर सत्यापित प्रतिवेदन भी विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। महालेखाकार का सत्यापित प्रतिवेदन अप्राप्त होने की स्थिति में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आने पर इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी।
7. इस आवंटन से पूर्व के बकाये का भुगतान किया जा सकता है। न्यायादेश से आच्छादित मामलों में बकाये के भुगतान में प्राथमिकता दी जाय। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी लंबित दायित्वों के भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित हो लेंगे कि बकाये की निकासी पूर्व में नहीं की गई है और दावा नियमानुकूल है।
8. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, दरभंगा से की जाएगी।
9. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है।
10. इसमें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन


19/3/18


(सच्चिदानन्द चौधरी)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-1/द0अ0-03/2017- 117(1)क० /स्वा0, पटना, दिनांक- 19/03/2018
प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, दरभंगा/जिलाधिकारी, दरभंगा/कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा-1), स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-1 एवं कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


19/3/18

सरकार के विशेष सचिव

अतिरिक्त / अनुदान

के लिए आवेदन-पत्र

पुनर्विनियोग

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

*अनौपचारिक
रूप से
परामर्शित

*द्वारा- वित्त विभाग

ज्ञाप संख्या-1/द०मे०कॉ०अ०-01/2018-248(1) /स्वा०, पटना, दिनांक- 27/02/2018

माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-110-अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ-0002-दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, लहेरियासराय, विपत्र कोड-20-2210011100002 में वित्तीय वर्ष 2017-18 में विद्युत प्रभार, संविदा सेवाएँ एवं छात्रवृत्ति/वजीफा मद में रू० 2,72,50,000/- (रुपये दो करोड़ बहत्तर लाख पचास हजार) मात्र पुनर्विनियोग की स्वीकृति के प्रसंग में वित्त विभाग, बिहार, पटना को उपस्थापित।

2. अतिरिक्त / अनुदान मांग सं०-20

पुनर्विनियोग की आवश्यकता के संबंध में स्पष्टीकरण नीचे लिखित।

प्रस्तावित पुनर्विनियोग

व्ययन पदाधिकारी का पदनाम- अधीक्षक, दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, लहेरियासराय

नियंत्रण पदाधिकारी का पदनाम- निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

अतिरिक्त / अनुदान मांग सं०-20

पुनर्विनियोग की आवश्यकता के संबंध में स्पष्टीकरण तथा प्रत्याशित बचत के संबंध में स्पष्टीकरण, यदि कुछ हो।

पुनर्विनियोग

माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-110-अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ-0002-दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, लहेरियासराय, विपत्र कोड-20-2210011100002 में वित्तीय वर्ष 2017-18 में 0002.13.04 विद्युत प्रभार, 0002.28.02 संविदा सेवाएँ एवं 0002.34.01 छात्रवृत्ति/वजीफा मद में रू० 2,72,50,000/- (रुपये दो करोड़ बहत्तर लाख पचास हजार) मात्र की राशि का संस्थान के बकाये बिजली बिल के भुगतान, मानदेय/अनुबंध पर कार्यरत कर्मियों एवं छात्रों के छात्रवृत्ति के भुगतान हेतु नितान्त आवश्यकता है।

माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-110-अस्पताल तथा औषधालय-0010-इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना, विपत्र कोड-20-2210011100010 के 0010.27.02 अनुरक्षण एवं मरम्मत मद, माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-0013-प्रशिक्षण फार्मसी, विपत्र कोड-20-2210051050013 के 0013.27.02 अनुरक्षण एवं मरम्मत मद तथा माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-110-अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ-0002-दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, लहेरियासराय, विपत्र कोड-20-2210011100002 के 0002.21.03 आहार/पथ्य, 0002.16.01 प्रकाशन एवं मुद्रण एवं 0002.20.03 प्रशिक्षण व्यय मद में उपबंधित राशि से वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल समतुल्य राशि रू० 2,72,50,000/- (रुपये दो करोड़ बहत्तर लाख पचास हजार) मात्र के बचत की संभावना है, जिसे प्रत्यर्पित करते हुए पुनर्विनियोग का प्रस्ताव उपस्थापित है।

पुनर्विनियोग की राशि बजट उपबंध के 25% के अंदर है।

सरकार के संयुक्त सचिव

अनुसूची 53-प्रपत्र सं0-221

मॉग सं0-20

अनुदान / विनियोग

मॉग सं0-20

मॉग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य
सेवाएँ-एलोपैथी-110-अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ-0002-दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल,
लहेरियासराय, विपत्र कोड-20-2210011100002

मॉग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य
सेवाएँ-एलोपैथी-110-अस्पताल तथा औषधालय-0010-इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना, विपत्र
कोड-20-22100111000010

शीर्ष जिसके अधीन अतिरिक्त अनुदान अपेक्षित है।						शीर्ष जिससे विनियोग प्रस्तावित है।					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
विनियोग की प्राथमिक ईकाईयाँ	मूल अनुदान (स्वीकृत बजट प्राक्कलन)	वर्तमान अनुदान	तत्कालिक प्राक्कलन के अनुसार वर्ष के अन्तर्गत संभावित खर्च	अपेक्षित अतिरिक्त अनुदान	कुल अनुदान को जोड़ने के बाद रहेगा	विनियोग की प्राथमिक ईकाईयाँ	मूल अनुदान (स्वीकृत बजट प्राक्कलन)	वर्तमान अनुदान	तत्कालिक लिए गए प्राक्कलन के अनुसार वर्ष के अन्तर्गत संभावित खर्च	प्रत्यर्पित राशि	कुल अनुदान जो घटाने के बाद रहेगा
	₹0	₹0	₹0	₹0	₹0		₹0	₹0	₹0	₹0	₹0
0002.13.04 विद्युत प्रभार	50000000	50000000	70051000	20051000	70051000	मॉग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-0013-प्रशिक्षण फार्मसी, विपत्र कोड-20-2210051050013	10000000	10000000	0	10000000	0
0002.28.02 सविद्या सेवाएँ	118218000	118218000	124017000	5799000	124017000	मॉग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य	5000000	5000000	0	5000000	0
0002.34.01 छात्रवृत्ति/वजीफा	15840000	15840000	17240000	1400000	17240000	मॉग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य	5000000	5000000	0	5000000	0
						सेवाएँ-एलोपैथी-110-अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ-0002-दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, लहेरियासराय, विपत्र कोड-20-2210011100002	29200000	29200000	19200000	10000000	19200000
							0002.21.03 आहार/पथ्य	29200000	29200000	19200000	10000000
							0002.16.01 प्रकाशन एवं मुद्रण	50000	50000	0	50000
							0002.20.03 प्रशिक्षण व्यय	2200000	2200000	0	2200000
कुल योग-				27250000						27250000	

248(1)
27-02-2018

सरकार के संयुक्त सचिव

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

13-

ज्ञाप संख्या-1/द0मे0कॉ0अ0-01/2018-319(1) /स्वा0, पटना, दिनांक-15/03/2018

सेवा में,

*अनौपचारिक
रूप से
परामर्शित

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

*द्वारा-वित्त विभाग

विषय:- माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-110-अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ-0002-दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, विपत्र कोड-20-2210011100002 में वित्तीय वर्ष 2017-18 में विद्युत प्रभार, संविदा सेवाएँ एवं छात्रवृत्ति/वजीफा मद में रू0 2,72,50,000/- (रुपये दो करोड़ बहत्तर लाख पचास हजार) मात्र पुनर्विनियोग की स्वीकृति।

आदेश- वित्तीय नियमावली भाग-1 के नियम 489 के अन्तर्गत स्वीकृत।

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष अन्तर्गत 0002.13.04 विद्युत प्रभार, 0002.28.02 संविदा सेवाएँ एवं 0002.34.01 छात्रवृत्ति/वजीफा मद में रू0 2,72,50,000/- (रुपये दो करोड़ बहत्तर लाख पचास हजार) मात्र की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

2. उक्त राशि माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-110-अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ-0002-दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, विपत्र कोड-20-2210011100002 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में पुनर्विनियोग से प्राप्त राशि से विकलनीय होगा (विवरणी संलग्न)।

3. संबंधित वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561 वि0(2) दिनांक 17.04.98, परिपत्र सं0 2419 वि0(2) दिनांक 05.04.2007 एवं 2398 वि0(2) दिनांक 08.04.08 में निदेशित प्रक्रिया के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।


4. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अधीक्षक, दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, लहेरियासराय होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

5. यह मात्र स्वीकृत्यादेश है, आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

6. प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।


7. प्रस्ताव एवं प्रारूप में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


(सच्चिदानन्द चौधरी) 15/3/18
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-1/द0मे0कॉ0अ0-01/2018-319(1)/स्वा0, पटना, दिनांक-15/03/2018

प्रतिलिपि-वित्त विभाग, बजट शाखा/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/प्रशाखा-1 को अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के विशेष सचिव